उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय, बागेश्वर।

Email- artobag-trans-uk@nic.in

पत्र संख्याः– 255 /सामा0 प्रशा0/वन भूमि चयन /2025–26 | दिनांक 05.06.2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी, महोदय,
वन प्रभाग बागेश्वर।

विषय– जनपद– बागेश्वर के अंतर्गत परिवहन विभाग के कार्यालय, अनावासीय भवन, ड्राईविंग टेस्टिंग ट्रैक तथा ट्रैफिक अवेयरनेस सैन्टर के निर्माण हेतु 0.74 हे0 (0.42 हे0 गैर वन भूमि, 0.32 हे0 वन भूमि) गैर वानिकी कार्यो हेतु उत्तराखण्ड परिवहन विभाग बागेश्वर सैद्धान्तिक स्वीकृत की अनुपालन आख्या के संम्बन्ध मे (Online no FP/UK/other/156508/2022)

सन्दर्भ– भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक 08 बी0/यू0 पी0सी0/09/69/2022/एफ0सी0/1532/दिनांक 08.05.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड राज्य में जनपद बागेश्वर के अंतर्गत परिवहन विभाग के कार्यालय, अनावासीय भवन, ड्राईविंग टेस्टिंग ट्रैक तथा ट्रैफिक अवेयरनेस सैन्टर के निर्माण हेतु 0.74 हे0 (0.42 हे0 गैर वन भूमि, 0.32 हे0 वन भूमि) गैर वानिकी कार्यो हेतु उत्तराखण्ड परिवहन विभाग बागेश्वर को प्रत्यावेदन करने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई है:–

कं0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृत की अनुपालन आख्या
	(क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 1.5 है0 आरक्षित वन भूमि, छतीना कक्ष संख्या–4 पर 1500 पौधों का रोपण किया जाएगा जहॉ तक व्यावहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।	(क) वन भूमि, छतीना पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। उक्त क्षेत्र में स्थानीय स्वदेशी प्रजाजियों के लगाया जायेगा तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचा जा सकेगा।
	(ख) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी0क्षेत्र को राज्य द्वारा अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।	(ख) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी0क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
2–	**शुद्ध वर्तमान मूल्य**	
	(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.04.2008 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा 5–1/1998–एफ सी0 (Pt.2) दिनांक 18.09.2003 5–2/2006–एफ.सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007 एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.74हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	वन भूमि/2024–25 दिनांक 05.03.2025 को कैम्प देहरादून के खाता संख्या CAM508909042025 चैक संख्या 011399 कुल धनराशि 18,48,664 (अट्ठारह लाख अड़तालिस हजार छः सौ चौंसठ रूपये मात्र) विभागीय खाता संख्या 598202010014976 से यूनियन बैक बागेश्वर से चालान के माध्यम से वन विभाग के पक्ष में भुगतान कर दिया गया है।
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के वाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूल जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के वाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूल जाएगा प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

3–	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जो कि प्रस्ताव के अनुसार 13 वृक्षों से अधिक नही होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जो कि प्रस्ताव के अनुसार 13 वृक्षों से अधिक नही होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास की कटाई की लागत जमा की जाएगी। प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
4–	प्रतिपूरक वनीकरण जुटाने के लिए पहचानी गई गैर–वन/सिविल सोयम भूमि को चरण–II मंजुरी जारी करने से पहले राज्य वन विभाग के पक्ष में स्थानांतरित और परिवर्तित किया जाएगा, यदि लागू हो	उक्त के अनुपालन में प्रतिपूरक वनीकरण आरक्षित वन भूमि में प्रस्तावित है।
5–	राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं नामांतरित गैर–वन/सिविल सोयम भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत या स्थानीय वन अधिनियम,1927 की प्रासंगिक धारा (ओ) के तहत आरक्षित वन या संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। उक्त अधिसूचना चरण–II अंतिम अनुमोदन की अनुपालन रिर्पोट के साथ प्रस्तुत की जाएगी, यदि लागू हो।	उक्त के अनुपालन में प्रतिपूरक वनीकरण आरक्षित वन भूमि में प्रस्तावित है।
6–	वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार मलबा निस्तारण नही किया जाएगा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र प्रदान करेगी।	वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार मलबा निस्तारण नही किया जाएगा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र संलग्न किया गया है। प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
7–	केंद सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र पदान करेगी	केंद सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण शपथ पत्र संलग्न किया गया है। प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
8–	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्त सभी शर्तो अनुपालन किया जायेगा।
9–	The User Agency shall submit an undertaking the the construction area will not increase over the proposed l plan and rest of the area shall be developed /maintaine a green space . Plantation shal be raised in consultatio State Forest Department in the green belt areas and co raising the plantation would be borne by the user agen	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्त सभी शर्तो अनुपालन किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
10–	All condition of CWLW/SBWL/NBWL shall be strictly complied , wherever applicable .	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्त सभी शर्तो अनुपालन किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
11–	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण के प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nin-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित जमा किए जाएंगे।	वन भूमि/2024–25 दिनांक 05.03.2025 को कैम्प देहरादून के खाता संख्या CAM508909042025 चैक संख्या 011399 कुल धनराशि 18,48,664 (अट्ठारह लाख अड़तालिस हजार छः सौ चौंसठ रूपये मात्र) विभागीय खाता संख्या 598202010014976 से यूनियन बैक बागेश्वर से चालान के माध्यम से वन विभाग के पक्ष में भुगतान कर दिया गया है।
12–	अनुपालन रिर्पोट ई–पोर्टल(https://parivesh-nin-in) पर अपलोड की जाएगी	ई–पोर्टल (https://parivesh-nin-in) में कर दिया गया है
(ख.)	**राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के पश्चात क्षेत्र में शर्तो का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है लेकिन वचन पत्र के रूप में अनुपालन चरण–II चरण अनुमोदन से पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा।**	
1–	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्त सभी शर्तो अनुपालन किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
2–	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपें जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्त सभी शर्तो अनुपालन किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
3–	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्त सभी शर्तो अनुपालन किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।

	वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्वि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	
4–	राज्य वन विभाग द्वारा कार्य की अनुमति देने से पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की टिप्पणियॉ प्राप्त करेगी यदि लागू हो।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्त सभी शर्तो अनुपालन किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
5–	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक/राज्य वन्यजीव बोड/राष्टीय वन्यजीव बोर्ड की सभी शर्त जहां भी लागू हो का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्त सभी शर्तो अनुपालन किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
6–	नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.6.2022 के अनुसार पाचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्त सभी शर्तो अनुपालन किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
7–	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चि करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नही बदलेगें।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्त सभी शर्तो अनुपालन किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
8–	पर्यावरण (संरक्षण)अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्त सभी शर्तो अनुपालन किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
9–	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्त सभी शर्तो अनुपालन किया जायेगा।
10–	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवावन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य स्रोत से पर्याप्त लगडी विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्त सभी शर्तो अनुपालन किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
11–	संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward /Backward bearings अंकित हों	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्त सभी शर्तो अनुपालन किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
12–	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्त सभी शर्तो अनुपालन किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
13–	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नही की जाएगी	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्त सभी शर्तो अनुपालन किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
14–	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्त सभी शर्तो अनुपालन किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
15–	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की पर प्रयोक्त अभिकरण द्वारा प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जााएगा मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनाक स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्त सभी शर्तो अनुपालन किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
16–	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/ न्यायालय आदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होतें है तो उनके जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी ।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्त सभी शर्तो का अनुपालन किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
17–	प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी अधिनियमों, नियमों की विनियमों, दिशानिर्देशों माननीय न्यायालय आदेश (आदेशों) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश (आदेशों) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्त सभी शर्तो अनुपालन किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
18–	उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लघन माना जायेगा एवं एफ.सी.ए.	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्त सभी शर्तो अनुपालन किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।

अतः महोदय, उक्त के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित कुमार)
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
बागेश्वर।

प्रतिलिपिः– 01– अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

02– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण , इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी देहरादून उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

03– परिवहन आयुक्त महोदय, उत्तराखण्ड देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

04– संयुक्त परिवहन आयुक्त महोदय, उत्तराखण्ड देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

05– सम्भागीय परिवहन अधिकारी महोदय, (प्रशासन) अल्मोडा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(अमित कुमार)
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
बागेश्वर।

प्रपत्र–43

योजना का नाम– जनपद– बागेश्वर के अंतर्गत परिवहन विभाग के कार्यालय, अनावासीय भवन, ड्राईविंग टेस्टिंग ट्रैक तथा ट्रैफिक अवेयरनेस सैन्टर के निर्माण हेतु 0.74 हे0 (0.42 है0 गैर वन भूमि, 0.32 हे0 वन भूमि) गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड परिवहन विभाग बागेश्वर सैद्धान्तिक स्वीकृत की अनुपालन आख्या के संम्बन्ध मे (Online no FP/UK/other/156508/2022)

वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार मलबा निस्तारण नही किया जाएगा इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार मलबा निस्तारण नही किया जाएगा।

(अमित कुमार)
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
बागेश्वर।

नोट– उक्त प्रमाण पत्र प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा निर्गत कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र–43

योजना का नाम– जनपद– बागेश्वर के अंतर्गत परिवहन विभाग के कार्यालय, अनावासीय भवन, ड्राईविंग टेस्टिंग ट्रैक तथा ट्रैफिक अवेयरनेस सैन्टर के निर्माण हेतु 0.74 हे0 (0.42 है0 गैर वन भूमि, 0.32 हे0 वन भूमि) गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड परिवहन विभाग बागेश्वर सैद्धान्तिक स्वीकृत की अनुपालन आख्या के संम्बन्ध मे (Online no FP/UK/other/156508/2022)

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा करये जाने का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोत्तरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की मांग के अनुसार किया जायेगा।

(अमित कुमार)
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
बागेश्वर।

नोट– उक्त प्रमाण पत्र प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा निर्गत कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र–43

योजना का नाम– जनपद– बागेश्वर के अंतर्गत परिवहन विभाग के कार्यालय, अनावासीय भवन, ड्राईविंग टेस्टिंग ट्रैक तथा ट्रैफिक अवेयरनेस सैन्टर के निर्माण हेतु 0.74 है0 (0.42 है0 गैर वन भूमि, 0.32 है0 वन भूमि) गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड परिवहन विभाग बागेश्वर सैद्धान्तिक स्वीकृत की अनुपालन आख्या के संम्बन्ध मे (Online no FP/UK/other/156508/2022)

केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जाएगा।

(अमित कुमार)
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
बागेश्वर।

नोट– उक्त प्रमाण पत्र प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा निर्गत कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।